संख्या- 90 /2021/1655/26-3-2021-1(17)/2021

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 जुलाई 2021

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति योजनाओं में लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के सचालन हेतु यू0आई0डी0ए0आई0 की गाईडलाइन के अनुसार CERT-IN Audit कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-211/स0क0/शिक्षा-अ/3/96-2/2021-21, दिनांक-10.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति योजनाओं में लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के सचालन हेतु यू0आई0डी0ए0आई0 की गाईडलाइन के अनुसार CERT-IN Audit कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में श्रीट्रान इण्डिया लि0 के पत्रांक-SIL/SUB-AUA/SW/2020-21/3816,दिनांक-24.07.2020 तथा ए0के0एस0 इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी सर्विसेज प्राइवेट लि0, नोएडा के पत्रांक-AKSIT/SW-LKO-2020-21 दिनांक-31.08.2020 द्वारा CERT-IN Audit किये जाने हेतु होने वाला व्यय का विवरण उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् हैः- (धनराशि रू0)

क्रमांक	फर्म का नाम	व्यय होने वाली धनराशि
1	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड	2,14,170.00
2	ए0के0 एस0 इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा	1,77,000.00

चूकि उपरोक्त दोनों फर्मों में से ए0के0एस0 इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी सर्विसेज फर्म की दर न्यूनतम है।

3- अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति योजनाओं में लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के सचालन हेतु यू0आई0डी0ए0आई0 की गाईडलाइन के अनुसार CERT-IN Audit ए0के0 एस0 इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा से कराये जाने हेतु रू0-1,77,000.00 (रूपये-एक लाख सतहत्तर हजार मात्र) के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-13-42 में प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख में से व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

पृ.संख्या-90/2021/1655 (1)/26-3-2021 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in